तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **शैतान सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़)** सू.अ.अपील संख्या 183/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.08.23	अपीलार्थी शैतान सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी प्लॉट न. 15, गोपालवाड़ी, नियर होटल गढ़ गोविन्द, चौपासनी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2023 में दिनांक 04.03.2023 को शैतान सिंह पुत्र रतन सिंह के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़ को प्रस्तुत शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़ द्वारा आरोपियों के खिलाफ की गई सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	